राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(16)पंचा.शिका / रानिआ / 2020 / 7131 दिनांकः 16.09.2020

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020– आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहते स्थानान्तरण के संबंध में।
संदर्भः–वित्त आबकारी विभाग का पत्र क्रमांक प. 11(24) वित्त / आब / 2016 दिनांक 15.09.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 की घोषणा दिनांक 07.09.2020 को कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध प्रभावी हो गया है।

उक्त प्रकरण का स्पष्ट अंकन आयोग के प्रेस–नोट में किया गया है, साथ ही आयोग के आदेश क्रमांक एफ.7(1)(1)पंचा / रानिआ / 2019 / ाा 6789 दिनांक 07.09.2020 द्वारा सभी विभागों को यह सूचित कर दिया गया कि विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और यदि ऐसी कोई परिस्थितियों उत्पन्न होती है जिनमें स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रस्ताव उप परिस्थितियों एवं आधार और औचित्य के साथ आयोग में भेजे जायें ताकि आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण की अनुमति दी जा सकें।

आयोग संज्ञान में आया है कि संदर्भित पत्र में राजस्थान आबकारी सेवा के 44 अधिकारियों का स्थानान्तरण आयोग की अनुमति / परामर्श के बिना किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आयोग के प्रख्यापित आदेश दिनांक 07.09.2020 का उल्लंघन है। आयोग ने इसे गम्भीरता से लिया है अतः उक्त आदेश की क्रियान्विति पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक रोक लगाई जाती है। यदि उक्त आदेशों की पालना में कोई अधिकारी अपने वर्तमान स्थान से कार्यमुक्त हो गया हो तो वह भी अपने पूर्व स्थान पर रिपोर्ट करे। क्रम संख्या 43 के पदस्थापन पर यह रोक लागू नहीं होगी।

आयोग के उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।

16/9

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(16)पंचा.शिका / रानिआ / 2020 / 7132 दिनांकः 16.09.2020

प्रतिलिपिः– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/9

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

D:\ Legal Letters Panchayat doc